

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 6 सितम्बर, 2006

संख्या का0आ0 88/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2006.— हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 10/ह0अ06/2003/धा059/2006, दिनांक 8 अगस्त, 2006, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ग तथा छ में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,—

1 अनुसूची ग में, क्रम संख्या 68 तथा उसके सामने प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :-

"68 पूर्व—स्वामित्वाधीन मोटर वाहन अनुसूची छ में प्रविष्टि 2 के अधधीन जब मोटर वाहन के क्रय तथा विक्रय में व्यापार करने वाले व्यवहारी द्वारा बेचे जाएं।

2. अनुसूची छ में, खाना 1,2,3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टि के बाद, अंत में, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
"2(क)	1000 सी0 सी0 ईन्जन से अनधिक क्षमता की पूर्व स्वामित्वाधीन कारें।	3000/- रुपये प्रति कार	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय
(ख)	1000 सी0 सी0 ईन्जन से अधिक क्षमता की पूर्व स्वामित्वाधीन कारें।	5000/- रुपये प्रति कार	इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिए दायी किसी व्यवहारी द्वारा प्रथम विक्रय"।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 6th September, 2006

S.O. 88/H.A.6/2003/S 59/2006. – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. Web 10/H.A.6/2003/S.59/2006, dated the 8th August, 2006, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules C and G appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003) –

1. In Schedule C, for serial number 68 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be substituted, namely:-

“68. Pre-owned motor vehicle when sold by a dealer dealing in purchase and sale of motor vehicle subject to entry 2 in Schedule G”;

2. In Schedule G, under columns 1,2,3 and 4, after serial number 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-

1	2	3	4
“2(a)	Pre-owned cars having engine capacity not exceeding 1000 cc	Rs. 3000 per car	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act
(b)	Pre-owned cars having engine capacity exceeding 1000 cc	Rs. 5000 per car	First sale by a dealer liable to pay tax under this Act”.

L.S.M. SALINS
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.